



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-03022026-269792
CG-OR-E-03022026-269792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 444]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 2 फरवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 473(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 740/35-37 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-422 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ श्रीकाकुलम को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 740/35-37 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-422 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी,

आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 740/35-37 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-422 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, औरआंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

क्र.सं	गांव का नाम	कुल सीमा	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि की प्रकृति
1	उरलम	0.91	0.47	गोरजा लैंड	सरकारी भूमि
2	उरलम	0.46	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि
3	उरलम	0.52	0.1	गीली भूमि	निजी भूमि
4	उरलम	0.94	0.09	गीली भूमि	निजी भूमि
5	उरलम	0.47	0.15	गोरजा लैंड	सरकारी भूमि
6	उरलम	0.12	0.03	गोरजा लैंड	सरकारी भूमि
7	उरलम	0.06	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि
8	उरलम	0.86	0.25	गीली भूमि	निजी भूमि
9	उरलम	0.82	0.19	गीली भूमि	निजी भूमि
10	उरलम	0.37	0.15	गीली भूमि	निजी भूमि
11	उरलम	0.73	0.49	गीली भूमि	निजी भूमि
12	उरलम	0.21	0.11	कलुवा	सरकारी भूमि
13	उरलम	0.01	0.005	कलुवा	सरकारी भूमि
14	उरलम	0.5	0.11	गीली भूमि	निजी भूमि
15	लुकालम	0.26	0.02	गीली भूमि	निजी भूमि
16	लुकालम	0.15	0.12	गीली भूमि	निजी भूमि
17	लुकालम	0.14	0.14	गीली भूमि	निजी भूमि
18	लुकालम	0.11	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि
19	लुकालम	0.22	0.07	गीली भूमि	निजी भूमि
20	लुकालम	0.16	0.11	गीली भूमि	निजी भूमि
21	लुकालम	0.16	0.11	गीली भूमि	निजी भूमि
22	लुकालम	0.38	0.22	गीली भूमि	निजी भूमि
23	लुकालम	0.17	0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
24	लुकालम	0.07	0.07	गीली भूमि	निजी भूमि
25	लुकालम	0.06	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि

26	लुकालम	0.09	0.02	गीली भूमि	निजी भूमि
27	लुकालम	0.38	0.005	गीली भूमि	निजी भूमि
28	लुकालम	0.15	0.02	कलुवा	सरकारी भूमि
29	लुकालम	0.11	0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
30	लुकालम	0.14	0.075	गीली भूमि	निजी भूमि
31	लुकालम	0.12	0.12	गीली भूमि	निजी भूमि
32	लुकालम	0.38	0.02	रस्था	सरकारी भूमि
33	लुकालम	0.28	0.165	गीली भूमि	निजी भूमि
34	लुकालम	0.37	0.195	गीली भूमि	निजी भूमि
35	लुकालम	0.19	0.12	गीली भूमि	निजी भूमि
36	लुकालम	0.1	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि
37	लुकालम	0.15	0.105	गीली भूमि	निजी भूमि
38	लुकालम	0.19	0.135	गीली भूमि	निजी भूमि
39	लुकालम	0.01	0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
40	लुकालम	0.04	0.02	गीली भूमि	निजी भूमि
41	लुकालम	0.21	0.05	गीली भूमि	निजी भूमि
42	लुकालम	4.01	0.68	रेलवे रोड	सरकारी भूमि
43	लुकालम	0.16	0.01	समसनम	सरकारी भूमि
44	लुकालम	0.05	0.02	गीली भूमि	निजी भूमि
45	लुकालम	0.01	0.01	Wet Land	निजी भूमि
46	लुकालम	0.02	0.01	गीली भूमि	निजी भूमि
47	लुकालम	0.35	0.28	गीली भूमि	निजी भूमि
48	नदागाम	0.95	0.1	रोड	सरकारी भूमि
49	नदागाम	0.06	0.06	गीली भूमि	निजी भूमि
50	नदागाम	1.21	0.09	गीली भूमि	निजी भूमि
51	नदागाम	0.89	0.09	गीली भूमि	निजी भूमि
कुल अधिग्रहित भूमि		19.48	5.685		

अमूर्त

गांव का नाम	सरकारी भूमि	निजी भूमि	एकड़ में कुल अधिग्रहित क्षेत्र
		गीली	
उरलम	0.765	1.48	2.245
लुकालम	0.73	2.37	3.10
नदागाम	0.10	0.24	0.34
Total	1.595	4.09	5.685

[फा. सं. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/422/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS**[East Coast Railway (Construction)]****NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 2nd February, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act - 1989

S.O. 473(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 422 at Km 740/35-37 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Srikakulam for Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 422 at Km 740/35-37 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 422 at Km 740/35-37 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

Sl. No.	Name of the Village	Total extent	Acquired Extent (in Acres)	Classification of Land	Nature of land
1	Urlam	0.91	0.47	Gorja Land	Government Land
2	Urlam	0.46	0.05	Wet Land	Private Land
3	Urlam	0.52	0.1	Wet Land	Private Land
4	Urlam	0.94	0.09	Wet Land	Private Land
5	Urlam	0.47	0.15	Gorja Land	Government Land
6	Urlam	0.12	0.03	Gorja Land	Government Land
7	Urlam	0.06	0.05	Wet Land	Private Land
8	Urlam	0.86	0.25	Wet Land	Private Land
9	Urlam	0.82	0.19	Wet Land	Private Land
10	Urlam	0.37	0.15	Wet Land	Private Land
11	Urlam	0.73	0.49	Wet Land	Private Land
12	Urlam	0.21	0.11	Kaaluva	Government Land
13	Urlam	0.01	0.005	Kaaluva	Government Land
14	Urlam	0.5	0.11	Wet Land	Private Land
15	Lukalam	0.26	0.02	Wet Land	Private Land
16	Lukalam	0.15	0.12	Wet Land	Private Land
17	Lukalam	0.14	0.14	Wet Land	Private Land
18	Lukalam	0.11	0.05	Wet Land	Private Land

19	Lukalam	0.22	0.07	Wet Land	Private Land
20	Lukalam	0.16	0.11	Wet Land	Private Land
21	Lukalam	0.16	0.11	Wet Land	Private Land
22	Lukalam	0.38	0.22	Wet Land	Private Land
23	Lukalam	0.17	0.01	Wet Land	Private Land
24	Lukalam	0.07	0.07	Wet Land	Private Land
25	Lukalam	0.06	0.05	Wet Land	Private Land
26	Lukalam	0.09	0.02	Wet Land	Private Land
27	Lukalam	0.38	0.005	Wet Land	Private Land
28	Lukalam	0.15	0.02	Kaaluva	Government Land
29	Lukalam	0.11	0.01	Wet Land	Private Land
30	Lukalam	0.14	0.075	Wet Land	Private Land
31	Lukalam	0.12	0.12	Wet Land	Private Land
32	Lukalam	0.38	0.02	Rastha	Government Land
33	Lukalam	0.28	0.165	Wet Land	Private Land
34	Lukalam	0.37	0.195	Wet Land	Private Land
35	Lukalam	0.19	0.12	Wet Land	Private Land
36	Lukalam	0.1	0.05	Wet Land	Private Land
37	Lukalam	0.15	0.105	Wet Land	Private Land
38	Lukalam	0.19	0.135	Wet Land	Private Land
39	Lukalam	0.01	0.01	Wet Land	Private Land
40	Lukalam	0.04	0.02	Wet Land	Private Land
41	Lukalam	0.21	0.05	Wet Land	Private Land
42	Lukalam	4.01	0.68	Railway Road	Government Land
43	Lukalam	0.16	0.01	Samsanam	Government Land
44	Lukalam	0.05	0.02	Wet Land	Private Land
45	Lukalam	0.01	0.01	Wet Land	Private Land
46	Lukalam	0.02	0.01	Wet Land	Private Land
47	Lukalam	0.35	0.28	Wet Land	Private Land
48	Nadagam	0.95	0.1	Road	Government Land
49	Nadagam	0.06	0.06	Wet Land	Private Land
50	Nadagam	1.21	0.09	Wet Land	Private Land
51	Nadagam	0.89	0.09	Wet Land	Private Land
Total Acquired Land		19.48	5.685		

Abstract

Name of the Village	Govt land	Private land	Total acquired land
		Wet	
Urlam	0.765	1.48	2.245
Lukalam	0.73	2.37	3.10
Nadagam	0.10	0.24	0.34
Total	1.595	4.09	5.685

[F. No. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/422/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)